संख्या:30/2020/627/छप्पन-2020-93/18

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 03 अप्रैल, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित बजट के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) किये जाने के निर्देश दिये गये है (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 मे नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा पक्ष के लेखा शीर्षक " 2070" "2203" तथा "3053" के अधीन संलग्न विवरणों के अनुसार इंगित लेखा शीर्षको के मदवार लघु इकाइयों मे क्रमश: रूपये 43,36,69,000/-, रूपये 2,54,05,000/- एवम् रूपये 1,01,00,00,000/- अर्थात कुल रूपये 1,46,90,74,000 (एक अरब छियालिस करोड नब्बे लाख चौहतर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आप के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार वचनबद्ध मदों के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च 2020 मे दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जाये तथा व्यय के लिये जहाँ आवश्यक हो नियमानुसार शासन के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0 संख्या: 30/2020/627(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) नियोजन अनुभाग-4
(7) निदेशक, एअरोनाटिकल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ एअरपोर्ट, लखनऊ
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।